

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक— 4399 / मी०क्षे० / 33 / मीरजापुर, दिनांक, मई, 10 - 2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ ।

विषय— वेलोस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा० लि० द्वारा ग्राम—ददरी खुर्द, तहसील—सदर, जनपद—मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— 1—विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2 लखनऊ का पत्रांक—1705/81-2-2019-800(64)/2016 लखनऊ दिनांक 26.08.2019
2—आपका पत्रांक—398/11-सी—FP/UP/Thermal/14236/2015 दिनांक 27.08.2019
3—भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक—File No.8B/UP/08/38/2016/FC/329 दिनांक 04.11.2022
4—आपका पत्रांक—1635/11-सी—FP/UP/Thermal/14236/2015 दिनांक 10.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या—4018 / मीरजापुर / 15 दिनांक 09.05.2024 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा आख्या मय अभिलेखीय साक्ष्य सहित संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा प्रेषित किये गये प्रश्नगत प्रकरण आख्या एतद् सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीष मित्तल)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

सख्या— 4399 / अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर को उनके कार्यालय के पत्र संख्या—4018 / मीरजापुर / 15 दिनांक 09.05.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मित्तल)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक— ५०१८ / मीरजापुर / १५ दिनांक मीरजापुर मई ०९ २०२४

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय— वेलेस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा० लि० द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर में प्रस्तावित १३२० मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ८.३५८१ हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक २९६ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ—१— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक—File No.8B/UP/08/38/2016/FC/339 दिनांक ०४.११.२०२२
- २— विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—२ लखनऊ का पत्रांक—१७०५/८१-२-२०१९-८००(६४)/२०१६ लखनऊ दिनांक २६.०८.२०१९।
- २— आपका पत्रांक— ९९०/मी०/३३/दिनांक २९.०८.२०१९।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि—वेलेस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा० लि० द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर में प्रस्तावित १३२० मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ८.३५८१ हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक २९६ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, जनपद-मीरजापुर में विज्ञप्ति सं०-६१७ दिनांक ११.१०.१९५२ द्वारा १६४३ एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालान्तर में धारा-२० के अन्तर्गत वर्ष १९७७ में २६२.१६ एकड़ भूमि के सम्बन्ध में अभिलेखों की विधिवत जांच कर प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर से शासनादेश दिनांक २८.०६.२०१९ के द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियानुसार परिक्षण आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मे० वेलेस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि ८३४.६८ एकड़ में वन भूमि निहित तो नहीं है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा विस्तृत आख्या/टिप्पणी की अपेक्षा की गयी। उक्त के क्रम में उपरोक्तानुसार विस्तृत आख्या/टिप्पणी हेतु इस कार्यालय के पत्रांक ९२४/मी०/१५ दिनांक ०३.०९.२०१९ एवं पत्रांक २५८५/मी०/१५ दिनांक १०.०१.२०२० द्वारा जिलाधिकारी, मीरजापुर से अनुरोध किया गया। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक १८६९ दिनांक १२.०२.२०२४ द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व), उप जिलाधिकारी सदर, उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर को सदस्य रूप में नामित कर जांचोपरान्त स्पष्ट आख्या मय अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु संयुक्त टीम का गठन किया गया।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक १९१६/जि०भू०व्य०लि०-२०२३/थर्मल ए० यू० पी० प्रा०लि०/दिनांक २९.०२.२०२४ (संलग्नक-१) द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट/विस्तृत आख्या/टिप्पणी उपलब्ध करायी गयी, जिसमें उल्लिखित है कि “ धारा-११७ की उपधारा-२ के

✓

अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित भूमियो पर ही प्रख्यापन किया जा सकता है। जिसके क्रम में वन विभाग की 1977 की विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा-20 के अन्तर्गत श्रेणी-6 की भूमि नदी, पथरैल व पहाड़ की भूमि का ही प्रकाशन किया गया है। 1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग की 1952 के विज्ञप्ति में ग्राम-ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या-1225 के क्रम संख्या 244 व 248 पर रकबा 800 व 843 एकड़ कुल रकबा 1643 एकड़ का प्रकाशन है। जो कि ज०वि०अधि० की धारा-117 में निहित/प्रदत्त शक्तियों से विसंगति रखता है साथ ही धारा-117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नहीं आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनदेश संख्या-617 के शेड्यूल-2 के अन्तर्गत ग्राम-ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।”

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक-3005/मी०/15 दिनांक 02.03.2024 द्वारा विस्तृत जॉच आख्या विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ को प्रेषित की गयी, जो अपर मुख्य सचिव, वन उ०प्र० शासन लखनऊ के पत्रांक-447/81-2-2024-800(64)/2016 द्वारा उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ को प्रेषित की गयी है। उपलब्ध करायी गयी सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त की प्रति संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक-File No.8B/UP/08/38/2016/FC/339 दिनांक 04.11.2022 द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख तथा इसी सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2024 को आहुत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 03.04.2024 को मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा वांछित बिन्दुओं पर बिन्दुवार उपलब्ध करायी गयी संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं उससे सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख इस कार्यालय के पत्रांक-3642/मी०/33 दिनांक 23.04.2024 द्वारा उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित किया गया, जो उनके पत्रांक-3276/11-सी, दिनांक 25.04.2024 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया। उक्त की प्रति संलग्न है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या

अ/समदिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, महोदया मीरजापुर।
3. वेलेस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा० लि०, मीरजापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर